न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 09/2022
रजि. संख्या : 2022/69

प्रार्थीपक्ष :–

श्री मन्नालाल पिता श्री रामा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत भवानपुरा (रतनपुरा) भाग– द्वितीय, तहसील आनन्दपुरी, जिला बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा

उपस्थित

श्री भगवत पुरी , श्री रवि पुरी – अभिभाषक (अपीलार्थी)

विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 12–04–2022, न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा प्रकरण संख्या 42/2020

निर्णय

दिनांक :– 29–11–2022

सरपंच ग्राम पंचायत भवानपुरा, विभिन्न वार्ड पंचो एवं उपभोक्ताओ द्वारा दिनांक 07.09.2020 को जिला कलक्टर कार्यालय बॉसवाडा में उचित मुल्य दुकानदार श्री मन्नालाल पिता श्री रामा के विरुद्ध की गई शिकायत की जॉच श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा एवं श्री लालशंकर डामोर तात्कालिन प्रवर्तन निरीक्षक आनन्दपुरी द्वारा मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ की मौजुदगी में दिनांक 16.09.2020 को की गई। जिसकी जॉच रिर्पोट दिनांक 17.09.2020 को प्रस्तुत की। जॉच रिर्पोट अनुसार उचित मुल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओ के राशनकार्ड में कम सामग्री दर्ज कर एवं पोस मशिन में अधिक ट्रांजेक्शन दर्शाकर 725 किलोग्राम गेहु को खुर्द बुर्द कर दुरुपयोग किया गया। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

(विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के अंतर्गत जारी प्राधिकार की शर्तें संख्या 11, 15, 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने से डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दिनांक 18.09.2020 जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा द्वारा डीलर के विरुद्ध राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रकरण सं. 42/2020 दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिनांक 12.04.2022 को अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र क्रमांक 1419/2007 निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त करने आदेश जारी किये गये। जिससे व्यथित व असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा, को सम्मन जारी किया गया।

दिनांक 02.11.2022 को रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा द्वारा पन्नालाल/रामा उचित मूल्य दुकान रतनपुरा भाग–द्वितिया (भवानपुरा) के विरूद्ध दिनांक 16.08.2020 को शिकायत की जांच की गई। जांच रिपोर्ट दिनांक 17.09..2020 को प्रस्तुत की गई। जांच में पाई गई अनियमितताओं के लिये डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 42/2020 दर्ज किया गया। इसके लिये डीलर को कारण बताओं नोटिस दिनांक 18.09.2020 को जारी किया गया। परन्तु डीलर द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में डीलर द्वारा गंभीर अनियमितताएं करना पाया गया था। डीलर द्वारा 25 उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं देकर/दर्ज मात्रा से कम मात्रा में गेहूं देकर एवं फर्जी ट्रांजेक्शन दर्शाकर 7.25 क्विंटल गेहूं का गबन किया गया। शासन सचिव महोदय खादय एवं आपूर्ति विभाग के पत्र दिनांक 22.07.2021 की पालना में डीलर के विरूद्ध पुलिस थाना आनंदपुरी

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी। इसके पश्चात दिनांक 10.11.2021 को डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1419/2007 निलंबित किया गया। डीलर द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब दिनांक 12.04.2022 को प्रस्तुत किया गया, परन्तु इसमें अनियमितताओं के लिये किसी प्रकार का संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस कार्यालय के निर्णय दिनांक 12.04.2022 द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। निर्णय दिनांक 12.04.2022 में सहवन से प्रकरण सं. 42/2020 के स्थान पर 44/2020 अंकित हो गया है, जिसे 42/2020 पढा जावे।

दिनांक 18.11.2022 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 12.04.2022 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 29.09.2022 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार पांच माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 12.04.2022 जानकारी होने पर प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपील पर प्रस्तुत बहस में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि, अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस का जवाब देने व अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। विचारण के दौरान अपीलार्थी को नहीं सुना गया है,

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:46 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with Oken Scanner

देने का पर्याप्त अवसर भी प्रदान नही किया गया है और प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट का भी सत्यापन नहीं हुआ है। अपीलार्थी को प्रवर्तन निरीक्षक से जीरह का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी को उसके सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया है। अपीलार्थी वर्ष 2007 से राशन डीलर का कार्य नियमानुसार कर रहा है। अपीलार्थी द्वारा विगत 15 वर्षों से कोई अनियमितताऐं नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को बराबर समय पर नियंत्रित सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा सामग्री बराबर उठाई जाकर नियमानुसार वितरण किया गया है। अपीलार्थी के स्टॉक रजिस्टर में नियमित इन्द्राज किया जा रहा है। अपीलार्थी के कार्य क्षेत्र में ग्राम भवानपुरा आदि बडे गांव आते है। जिसमे बडी मात्रा में लोग रहते है। परन्तु कुछ उपभोक्ताओं से बात कर प्रश्नगत कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्ध अमल में लायी गयी है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.09.2020 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया गया है। जबकि, कोविड–19 कोरोना वैश्विक महामारी राष्ट्र में व्याप्त थी। उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा हर जरूरतमंद को भोजन हेतु राशन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये थे तथा उपभोक्तओं को घर घर जाकर राशन वितरण करने हेतु निर्देशित किया था। उस दौरान पॉस मशीन व राशन कार्ड में इन्द्राज की बाध्यता से भी छुट प्रदान की थी। इस कारण कुछ उपभोक्तओं के राशनकार्ड में इन्द्राज नहीं होना अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता है। परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत निर्णय पारित कर व उक्त स्थिति को नजरअंदाज कर विधि एवं तथ्यों को गम्भीर भूल की है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं आयी है। प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। शिकायतकर्ता कहां के रहने वाले है इसका कोई उल्लेख शिकायत पत्र में नहीं है। जिस अवधि में शिकायतकर्ता राशन सामग्री का वितरण अपीलार्थी द्वारा नहीं करना बता रहे है। उस अवधि का वितरण शिकायत मनमानी व झुठी है। वास्तविकता से परे है। सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट केवल अपीलार्थी को हैरान व परेशन करने हेतु राजनीतिक दबाव में [illegible] है। प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा जो कमीयां बताई गयी है वह असत्य है। राशन डिलर के रूप में अपीलार्थी ने किसी प्रकार की कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

जांचकर्ता नहीं की है। साक्षीयों के बयान नहीं लिये गये है। जिसका कोई स्पष्टीकरण भी प्रत्यर्थी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जांचकर्ता से नहीं मांगा गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है और राशन वितरण के अन्दर कोई गडबडीयां नहीं की गई है। अभिकथित 7.25 क्विंटल गेहूं को भी अपीलार्थी द्वारा सुपुर्द कर दिया है। अपीलार्थी द्वारा कोई राशन सामग्री खुर्द-बुर्द नहीं की गई है। प्रत्यर्थी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र राजनेताओं की संतुष्टी के लिए अपीलार्थी के 15 वर्ष के कार्यकाल को अनदेखा कर ग्राम वासियान के भावनाओं के विपरित अपीलार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। अपीलार्थी के विरूद्ध उपभोक्ताओं की ओर से कोई शिकायत प्रत्यर्थी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अथवा जांचकर्ता को प्रस्तुत नहीं हुई है। जिन 25 उपभोक्तओं के राशनकार्ड के इन्द्राज के संबंध में आपत्ती की गयी है। उनके मौखिक बयान अथवा कोई शिकायत जांचकर्ता अथवा प्रत्यर्थी ने प्राप्त नहीं किये है। उक्त राशन कार्डो में भी कोई गलत वितरण जैसे कम सामग्री देकर ज्यादा सामग्री का अंकन करने का कोई आरोप अपीलार्थी पर नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार मांग किये जाने पर जितनी सामग्री का वितरण किया उतना अंकन राशन कार्ड में किया गया है। साथ ही सम्पूर्ण पत्रावली पर अपीलार्थी के विरूद्ध नियंत्रित सामग्री अथवा खद्यान्न के दुरुपयोग अथवा दुर्विनियोग करने का कोई आरोप अथवा साक्ष्य मौजुद नहीं है। अपीलार्थी की दुकान खुली हुई एवं अपीलार्थी स्वंय अपनी दुकान पर मौजुद मिला है। राशन वितरक के रूप में अपीलार्थी ने किसी प्रकार की कोई अनियमितताऐं नहीं की है। जांचकर्ता द्वारा साक्षीयों के बयान नहीं लिये गये है। जिससे यह स्पष्ट है कि, अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है और राशन वितरण के अन्दर कोई गडबडीया नहीं की गई है। अपीलार्थी निर्धारित समय पर दुकान खोलता है। वितरण कार्य भी स्वंय करता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी समस्त उपलब्ध सामग्री उपभोक्तओं को वितरीत करता है। अपीलार्थी द्वारा राशन दुकान पर मूल्य सूची बोर्ड व स्टॉक सूची का प्रदर्शन दुकान के बाहर प्रदर्शित किया गया है। कई बार उपभोक्ता अपना राशन कार्ड साथ नहीं लाते है एवं उपभोक्ता की मांग को देखकर तत्काल वितरण करना होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

Scanned with Oken Scanner

भविष्य में इसका ध्यान रखा जावेगा। गेहुं, शक्कर का दुरुपयोग नही किया गया है। उक्त गेहुं व केरोसिन बराबर उपभोक्ताओं को वितरण किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी ने कोई भी अनियमितता नहीं की है तथा अपीलार्थी ने अनुज्ञा पत्र की शर्तो की कोई अवहेलना नहीं की है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा, जिला बांसवाडा को उक्त निर्णय दिनांक 12.04.2022 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1419/2007 को पुनः बहाल किया जावे तथा प्रतिभूति राशि रुपया 1000/– भी दिलाया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने रेस्पोडेंट की ओर से बहस में कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत भवानपुरा, विभिन्न वार्ड पंचो एवं उपभोक्ताओ द्वारा दिनांक 07.09.2020 को जिला कलक्टर कार्यालय बॉसवाडा में उचित मुल्य दुकानदार श्री मन्नालाल पिता श्री रामा के विरुद्ध की गई शिकायत की जॉच मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ की मौजुदगी में दिनांक 16.09.2020 को की गई। जॉच रिर्पोट अनुसार उचित मुल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओ के राशनकार्ड में कम सामग्री दर्ज कर एवं पोस मशिन में अधिक ट्रांजेक्शन दर्शाकर 725 किलोग्राम गेहु को खुर्द बुर्द कर दुरुपयोग किया गया। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के अंतर्गत जारी प्राधिकार की शर्ते संख्या 11, 15, 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने से डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दिनांक 18.09.2020 जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा द्वारा डीलर के विरुद्ध राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रकरण सं. 42/2020 दर्ज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाकर उक्त प्रकरण सं. 42/2020 में तथ्यो के आधार पर विधि अनुसार से निर्णय दिनांक 12.04.2022 को पारित किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। ग्रामवासियान् ग्रा.पं. भवानपुरा, सरपंच ग्राम पंचायत भवानपुरा, विभिन्न वार्ड पंचो एवं उपभोक्ताओ द्वारा दिनांक 07.09.2020 को उचित मुल्य दुकानदार श्री मन्नालाल पिता श्री रामा के विरुद्ध की गई शिकायत की जिस पर दिनांक 16.09.2020 द्वारा प्रवर्तन निरीक्षको द्वारा मौके पर जॉच की गई एवं वहॉं पर उपस्थित 26 उपभोक्ताओ के बयान लिये गये है बयान पर उपभोक्ताओ के हस्ताक्षर मौजूद है। उपभोक्ताओ के 25 राशनकार्डो की जॉच की गई जिसमें उचित मूल्य दुकानदार द्वारा माह अप्रेल 2020 तक खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमिताऐ पाये जाने एवं डीलर मन्नालाल पिता रामा द्वारा 725 कि.ग्रा गेहूँ खूर्द बुर्द करना पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा [illegible] 2020 को प्रकरण दर्ज अपीलांट डीलर को दिनांक 18.09.2020, 22.03.2022 को नोटिस जारी कर तलब किया है। जॉच में गंभीर अनियमितता पाये जाने पर दिनांक 10.11.2021 को जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने आदेश दिये है। क्रमांक 223 दिनांक 16.11.2021 को डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित किया है कि डीलर श्री मन्नालाल पिता रामा द्वारा कारण बताओं नोटिस का प्रत्युत्तर दिनांक 12.04.2022 को प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि डीलर द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 12.04.2022 में पत्रावली में पत्रित है किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में उक्त प्रत्युत्तर पर विचारण नही किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण 42/2020 दिनांक 18.09.2020 को दर्ज हुआ जिसमें अपीलांट डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी होकर तलब किया गया एवं पत्रावली में सुनवाई तिथी दिनांक 12.10.2020 नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 12.10.2020 को प्रस्तुत नही होकर दिनांक 10.11.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण में विधिवत सुनवाई नही की है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 18-09-2020 के पश्चात् पत्रावली में पीठासीन

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

द्वारा विधिवत सुनवाई नही की गई है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत अपार्थी को अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है प्रकरण में सीलर के प्रत्युत्तर दिनांक 12.04.2022 ारण नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि में अपीलार्थी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–2022 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का ्त समय देते हुए जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा को नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने करण प्रतिप्रेषित किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ ालनार्थ प्रेषित की जावे। अपीलार्थी दिनांक 21–12–2022 न्यायालय जिला रसद अधिकारी बाँसवाडा में उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 29–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner